



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03122021-231582
CG-DL-E-03122021-231582

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4608]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 2021/अग्रहायण 12, 1943

No. 4608]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 2021/AGRAHAYANA 12, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 2021

का.आ. 4979(अ).—यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465(अ) दिनांक 26.04.2002 द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 44 (पुराना एनएच 7) के 34.800 किमी से 463.632 किमी तक का खंड (हैदराबाद से कर्नाटक/आंध्र प्रदेश सीमा सेक्शन) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा जाए) को सौंपा है ;

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम (3) के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार की अधिसूचना द्वारा यांत्रिक वाहनों पर खंडों के उपयोग के लिए शुल्क उदग्रहीत और संग्रहीत करने के लिए प्राधिकरण को निम्नानुसार प्राधिकृत किया :

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं 44 (पुराना एनएच 7) के 135.469 कि.मी. से 211.000 कि.मी. तक के खंड के लिए अधिसूचना संख्या का. आ. 913 (अ), दिनांक 25 अप्रैल 2012 के संदर्भ अनुसार ।

और यतः, प्राधिकरण ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 14 के प्रावधान के अनुसरण में, राष्ट्रीय राजमार्ग के कोथाकोटा बाईपास से कुरनूल खंड के 135.469 किमी से 211.000 किमी (लंबाई 74.622 कि.मी.) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त खंड' कहा जाए) तक के टोलिंग, प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण हेतु 30.03.2021 को नेशनल हाइवेज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय जी-5&6, सेक्टर-10, द्वारका, दिल्ली, साउथ वेस्ट दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110075 (जिसे इसके पश्चात् 'रियायतग्राही' कहा जाए) के साथ करार (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त करार' कहा जाए) किया है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 [सा.का.नि. 838 (अ), तारीख 5.12.2008] के नियम 3 के साथ पठित और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2010 [सा.का.नि.950(अ), तारीख 3.12.2010], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि.15 (अ), तारीख 12.1.2011] राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) दूसरा संशोधन नियम, 2011 [सा.का.नि. 756 (अ), तारीख 12. 10.2011], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2013[सा.का.नि. 778 (अ), तारीख 16.12.2013], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 26 (अ), तारीख 16.01.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 831 (अ), तारीख 21.11.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2014 [सा.का.नि. 02(अ), तारीख 29.12.2014], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2015 [सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 23.03.2015], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 585 (अ), तारीख 08.06.2016], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2016 [सा.का.नि. 1114(अ), तारीख 02.12.2016] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2017 [सा.का.नि. 248(अ), तारीख 14.03.2017] राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 427(अ), तारीख 07.05.2018] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2018 [सा.का.नि. 920 (अ), तारीख 25.09.2018] , राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2019 [सा.का.नि. 942 (अ), तारीख 20.12.2019], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 298 (अ), तारीख 15.05.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 523 (अ), तारीख 24.08.2020], राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) संशोधन नियम, 2020 [सा.का.नि. 804 (अ), तारीख 30.12.2020], के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और करार की अंतिम तारीख तक किसी अन्य संशोधनों और अधिसूचना संख्या का.आ.913(अ) तारीख 25 अप्रैल 2012 का अतिक्रमण करते हुए, सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व कर ली गई हैं या करने से लोप करा दी गई हैं, उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के उक्त खण्ड के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन पर हुए व्यय, निवेशित पूंजी पर व्याज, युक्तियुक्त प्रत्यागम, यातायात के दबाव और प्राधिकरण तथा रियायतग्राही के बीच हुए उक्त करार की अवधि को ध्यान में रखते हुए, एतद्वारा यह अधिसूचित करती है कि सड़क की कुल समकक्ष लम्बाई 88.007 कि.मी. [जिसमें 69.857 कि.मी. की सड़क और 1815 मीटर की सरचनाएं शामिल है (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) और जिसकी समकक्ष लम्बाई 18.15 कि.मी. है] के चार या अधिक लेन के खण्डों के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दर पर, और बाइपासों जिनकी कुल लम्बाई 2.95 कि.मी. और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है के लिए आधार दर के डेढ़ गुना दर से नीचे सारणी 1 के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्धृत एवं संग्रहीत करती है एवं उक्त रियायतग्राही को कार्यारंभ करने की तारीख को तथा उस तारीख से अथवा इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, जो भी बाद में हो, करार में विनिर्दिष्ट समापन की तारीख तक शुल्क संग्रहीत तथा प्रतिधारित करने हेतु प्राधिकृत करती है। यह शुल्क अधिसूचना टीओटी परियोजना पर कार्यारंभ करने की तारीख से प्रभावी होगी।

सारणी-1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए चार या अधिक लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग सेक्शन के लिए प्रति किमी शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन अथवा हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के मालवाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस अथवा ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) अथवा अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) अथवा बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात अथवा अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, शुल्क प्लाजा पर, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट दूरी हेतु शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान	लंबाई(किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
जोगुलम्बा गडवाल जिले में पुल्लूर गाँव के निकट किमी 200.950 पर	69.857 किमी (10 करोड़ रुपए से अधिक लागत के बाईपास की लम्बाई को छोड़कर और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित बाईपास(बाईपासों) जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट बाईपास की लंबाई हेतु, सारणी-1 में उल्लिखित आधार दर के डेढ़ गुना पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान(चैनेज)	बाईपास का नाम	शुरू होते हुए	मिलते हुए	बाईपास की लंबाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
जोगुलम्बा गडवाल जिले में पुल्लूर गाँव के निकट किमी 200.950 पर	पेब्वइर बाईपास 44 (पुराना एनएच 7)	किमी 153.050	किमी 156.00	2.950	सारणी 1-में उल्लिखित आधार दरों का 150%

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तन करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) पर निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगा:

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई* (किमी में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई(कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
जोगुलम्बा गडवाल जिले में पुल्लूर गाँव के निकट किमी 200.950 पर	1.815	18.150	ऊपर सारणी 1- में उल्लिखित आधार दरों का 100 %

संरचनाओं का विवरण (60 मी. से अधिक) निम्नानुसार है;

क्र.सं.	संरचना का अवस्थान (चैनेज)	संरचना का नाम	लम्बाई (किमी में)
1	किमी 162.340 पर	बड़ा पुल	918.49
2	किमी 203.700 पर	बड़ा पुल	640
3	किमी 210.400 पर	बड़ा पुल	174.9
4	किमी 208.513 पर	फ्लाईओवर	80
कुल			1815

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता/रहती हो, उसके लिए वर्ष 2021-22 के लिए मासिक पास की दर 285.00 रूपए (दो सौ पचासी रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास या अधिक एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास अथवा अधिक	संदाय की तारीख से एक माह

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा स्थित है, उसमें पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए निर्धारित शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस सड़क अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली 2008 के नियम 10 के उप नियम 1ए में उल्लिखित शुल्क के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस सड़क, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरें प्रदर्शित की जाएंगी।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई परियोजना राजमार्गों की लम्बाई के आधार पर की जायेगी तथा उसे रियायतग्राही के माध्यम से प्राधिकरण द्वारा अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा और तदनुसार उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा, परंतु शर्त यह है कि शुल्क में पिछली बार की गई वृद्धि की तारीख से 6 (छह) माह की अवधि के भीतर कोई संशोधन नहीं किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचएआई/एएम/इनविट/केके/फीनोटिफिकेशन/2021-22]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 2021

S.O. 4979(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 465(E) dated 26th April, 2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km. 34.800 to km. 463.632 (Hyderabad to Karnataka/Andhra Pradesh border section) of NH 44 (old NH 7) in the State of Andhra Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 7 of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) read with Rule (3) of the National Highway Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008, the Central Government by notification of the Government of India authorized Authority for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of stretches as follows:

Vide S.O. No. 913(E) dated 25th April 2012 for the section from km 135.469 to km 211.000 of NH 44(old NH 7) in the State of Andhra Pradesh.

And whereas pursuant to the provision of Section 14 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Authority has entered into an agreement (hereinafter referred to as said Agreement) with **National Highways Infra Projects Private Limited**, having its Registered Office at G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, Delhi, South West Delhi, Delhi, India, 110075 (hereinafter referred to as “Concessionaire”) on 30.03.2021 for the Tolling, Operation, maintenance and transfer of Kothakota Bypass to Kurnool section from km 135.469 to km. 211.000 (length **74.622 km**) (hereinafter referred to as the said section) of the National Highway.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 [GSR 838 (E) dt. 05.12.2008] read along with National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2010 [GSR 950(E) 03.12.2010], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2011 [GSR 15(E) 12.01.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Second Amendment Rules, 2011 [GSR 756 (E) 12.10.2011], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2013 [GSR 778(E) 16.12.2013], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 26(E) 16.01.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 831(E) 21.11.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2014 [GSR 02(E) 29.12.2014], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2015 [GSR 220(E) 23.03.2015], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 585(E) 08.06.2016], National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules 2016 [GSR 1114(E) 02.12.2016], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2017 [GSR 248(E) 14.03.2017], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 427(E) 07.05.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2018 [GSR 920(E) 25.09.2018], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2019 [GSR 942(E) 20.12.2019], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 298(E) 15.05.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 523(E) 24.08.2020], The National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Amendment Rules, 2020 [GSR 804(E) 30.12.2020], and any other amendments till date of agreement and in supersession of the Notification Number S.O. No. 913(E) dated 25th April 2012 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the expenditure involved in building, maintenance, management and operation of the said Section of said National Highway, interest on the capital invested, reasonable return, the volume of traffic and the period of said agreement entered between the Authority and the Concessionaire, hereby notifies that there shall be levied and collected fees on mechanical vehicles at the rate specified in column (2) of the Table 1 for total equivalent road length of **88.007 km** [including 69.857 km road and 1815 m of structures (having length more than 60m) with equivalent length of 18.15 km] for use of four and more lane sections and at one and half times of the base rates for bypasses having an aggregate length of 2.95 km costing each bypass Rupees 10 crore or more, on the Type of Vehicles specified in column (1) of the Table 1 below and authorizes the said Concessionaire to collect and retain the fee on and from the Appointed Date or publication of this Notification in the Official Gazette, whichever is later, till the date of termination as specified in the agreement. This fee notification shall be effective from the Appointed Date of the ToT project.

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for NH section of four or more lanes for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20

Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee levied and collected hereunder shall be due and payable at the following Fee Plaza(s) for the distance specified for such Fee Plaza(s):

Location of Fee Plaza	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which Fee is payable
At Km 200.950 near Pullur village in Jogulamba Gadwal Dist	69.857 km (Excluding length of Bypass (costing >10 Cr.) and length of structures (>60m))	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to the above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypass (es) costing more than Rs. 10 crores at the following Fee Plaza(s) at one and half times of the base rate mentioned in Table-1 above for the length of bypass (es) specified for such Fee Plaza(s):

Location of Toll Plaza(s) (chainage)	Name of the Bypass	Taking Off	Merging at	Length of Bypass (in km) for which additional fee is payable	Rate at which Fee is payable
At Km 200.950 near Pullur village in Jogulamba Gadwal Dist	Pebbair bypass of NH 44 (old NH 7)	Km 153.050	Km 156.000	2.950	150% of the base rates mentioned in Table-1 above

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures* (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Rate at which Fee is payable
At Km 200.950 near Pullur village in Jogulamba Gadwal Dist	1.815	18.150	100% of the base rates mentioned in Table-1 above

The details of structures (> 60 m length) are as under:

Sr. No.	Location of Structure (Chainage)	Name of the Structure	Length (m)
1	At Km 162.340	Major Bridge	918.49
2	At Km 203.700	Major Bridge	640
3	At Km 210.400	Major Bridge	174.9
4	At Km 208.513	Flyover	80
TOTAL			1815

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 285.00 (Rupees Two Hundred Eighty Five only) for the year 2021-22 which is subject to revision every year as per the provisions of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008.

5. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely;

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for oneway journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys or more	Fifty or more	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under national permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the prescribed rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a Mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, as per Rule 10 (1A) of NH Fee Rule 2008 and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions, category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the Rules.

9. The Fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rules 12 of the said Rules.

10. Based on the Base Rate of Fee per km for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the Project Highway. The same shall be got published by the Authority through the Concessionaire in at least one newspaper, each in English and vernacular language and thereafter revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and provision of Concession Agreement and got published, provided that no revision shall be effected within a period of 6 (six) months from the date of the preceding revision of Fee.

[F. No. NHAI/AM/InvIT/KK/Fee Notification/2021-22]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.